# भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

**टी0 ए0 मिस वाद सं0 100A/2017-18**

हर्ष तिर्की **बनाम** मनसुक कुजुर

**:: आदेश::**

| दिनांक | पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 15-9.17 | अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी राजनगर के पत्रांक 622 दिनांक 18.8.2017 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 100 A/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता हर्ष तिर्की पिता–स्व0 मनोज तिर्की, ग्राम–राजनगर, थाना–राजनगर जिला–सरायकेला–खरसावॉ ने पारिवारिक खर्च हेतु केता श्री मनसुक कुजूर, पिता–स्व0 एतवा कुजुर, ग्राम–राजनगर, थाना–राजनगर जिला– सरायकेला–खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विकी करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। केता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, एवं जाति प्रमाण पत्र समार्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः– | |

| मौजा | थाना न0 | खाता न0 | खेसरा न0 | रकवा |
|---|---|---|---|---|
| राजनगर | 151 | 106 | 1049/अ0 | 0.16ए0 |

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विकेता के दादा राज किशोर तिर्की के नाम पर खतियान में दर्ज है। विकेता के पिता एवं पितामह के मृत्यु के पश्चात अपने हिस्से की अंशिक भूमि को बिकी करना चाहते हैं। आवेदक के हिस्से में 4.39 एकड़ जमीन है, जिसमे से 0.16 एकड़ भूमि बिकी करने के पश्चात् 4.23 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना एवं जाति 'उरॉव' अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.16 एकड़ भूमि बिकी करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

15/9/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।